

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य कुटुम्ब पेंशन नियम 2006

प्ररूप-क क

(कुटुम्ब पेंशन हेतु नामांकन)

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे परिवार के निम्नलिखित सदस्य मुझ पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

सं.क.	पूर्ण नाम	आयु	संबंध	टिप्पणी.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूँ कि "छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य कुटुम्ब पेंशन, नियम, 2006" के अधीन ऊपर दिये गये कम से, जो मुझ पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं, और इनके आय का अन्य कोई स्रोत नहीं, कुटुम्ब पेंशन के हकदार होंगे।

सदस्य/भूतपूर्व सदस्य का नाम
छ.ग./पूर्ववर्ती म.प्र.
मोबाइल नं.